

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अन्वेषक भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया,
राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर-302005

क्रमांक : एफ.1(1)()स्था/सान्याअवि/17/91429

जयपुर, दिनांक:- 29-11-17

संशोधित-आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 83658 दिनांक 16.08.2017 एवं 83808 दिनांक 16.08.2017 में आंशिक संशोधन किया जाकर परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को देय स्थिर पारिश्रमिक रूपयें 14600/- के स्थान पर 14660/- पढा जावें।

(डॉ० समित शर्मा)
निदेशक

क्रमांक : एफ.1(1)()स्था/सान्याअवि/17/91430-631

जयपुर, दिनांक:- 29-11-17

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माधुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहाक, माननीय मंत्री महोदय, सा.न्या.अ.वि., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-4/2)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता एवं प्रशासन, सा.न्या.अ.वि., जयपुर।
8. निजी सचिव, उप निदेशक, (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....
10. ए.सी.पी., मुख्यावास को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
13. आदेश पत्रावली।

Samp
(संघमित्रा बरडिया)
उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)